

सीपत, दिनांक 21/11/2023

सूचना


"अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में"।

आयुक्त कार्यालय, रायपुर द्वारा राज्य की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु संचालित ऑनलाईन पोर्टल में आवश्यक संशोधन किया गया है।

वर्ष 2021-22 से आधार आधारित आवेदन पोर्टल पर विद्यार्थियों से लिया जा रहा है। वर्तमान सत्र 2023-24 से विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु लिये गये आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. (OTP) के माध्यम से किया जाना है।

इस महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त नियमित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि "वे आधार नम्बर पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि आवेदन करते समय करना सुनिश्चित करें"। उक्त पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. (OTP) पोर्टल पर दर्ज करने के उपरान्त ही विद्यार्थियों के आवेदन लॉक हो सकेगा। उसके उपरान्त ही विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन स्वीकार होंगे।

सुलभ संदर्भ हेतु सूचना के साथ संलग्न कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर (छ.ग.) के पत्र का अवलोकन करें।


21.11.23
PRINCIPAL
डॉ. राजेश शुकल
College
Seepat, Dist.-Bilaspur (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर (छ0ग0)

Phone No. - 07752 411257, Fax No. 225545, E-mail pmsbilaspur@gmail.com

क्र0/पो.मै.छा./2023-24/

2169

/बिलासपुर दिनांक 21/11/2023

प्रति,

कुलसचिव/अधिष्ठाता/प्राचार्य,

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में।
संदर्भ :- आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के पत्र क्रमांक/9294 दिनांक 20.11.2023

—000—

संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु संचालित ऑनलाईन पोर्टल में आवश्यक संशोधन किया गया है। संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

वर्ष 2021-22 से आधार आधारित आवेदन पोर्टल पर विद्यार्थियों से लिया जा रहा है। वर्तमान सत्र 2023-24 से विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु किये गये आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. (OTP) के माध्यम से किया जाना है।

कृपया इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से आपके संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित करें कि "वे आधार नंबर पर पंजीकृत मोबाईल नंबर की प्रविष्टि आवेदन करते समय करना सुनिश्चित करें"। उक्त पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. (OTP) पोर्टल पर दर्ज करने के उपरान्त ही विद्यार्थियों के आवेदन लॉक हो सकेगा। उसके उपरान्त ही विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार होंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास बिलासपुर

/बिलासपुर दिनांक 21/11/2023

पृ.क्र0/पो.मै.छा./2023-24/

2170

प्रतिलिपि :-

01-

आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02-

कलेक्टर, जिला बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास बिलासपुर

आयुक्त शिला
कलेक्टर

21.11.23